

फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

अमनादेवी बनाम रामलाल (वर्ग 1)

किरम मुकदमा ... पत्रा पत्र 111-120 नं. 80 सन् 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
--------	-----------------------------------	--

4-23

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28/4/23 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल

2-5  
23

पत्रावली मंहगाई राहत कॅम्प एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत पीछास में पेश हुई । विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिले शाह पत्र किये गये । विपक्षीगण अनुपस्थित । प्रार्थनापत्र का प्राप्ति स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शाह पत्र किया गया । पत्रावली फंसल नुमांदा होकर नम्बर से कम है ।

हुकमीचर रोहिलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 80/23 प्रा.पत्र

1- श्रीमती रामना देवी 010 श्री गोपी वैरना गिवासी- तावडी तहसील गाडल (गैर)

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री रामलाल 010 श्री गोतीलाल गाडरी गिवासी- तावडी तहसील गाडल (गैर)

-विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 02.05.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम...तावडी...पटवार हल्का...तावडी...तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 1586, 608, 609 कुल किता...03...रकबा...2.13.72 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण 1299 के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 21.04.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ स यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम...तावडी...पटवार तावडी...तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं...1586/1293 608-609 कुल किता...03...रकबा...2.13.72 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक...मेजा को...1000/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023